भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2713
जिसका उत्तर मंगलवार, 09 जुलाई, 2019 को दिया जाएगा

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

2713. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार/नीति आयोग का विचार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को समाप्त करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार का विचार किसानों, उपभोक्ताओं और आपूर्ति शृंखला प्रतिभागियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम के स्थान पर एक आधुनिक संविधि लाने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उद्देश्य आम लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

(ख) से (ङ.): जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

******